हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

धर्मशाला, 11 दिसम्बर, 2021

संख्या वि0स0–विधायन–सरकारी विधेयक/1-22/2021.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 8) जो आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
(यशपाल),
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

———————

2021 का विधेयक संख्यांक 8

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

2. **धारा 3 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 3 की उप–धारा (1) में "उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है" शब्दों के पश्चात् "या उच्च न्यायालय का न्यायधीश है या रहा है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का राज्य अधिनियम संख्यांक 23), कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों की जांच करने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति करने हेतु अधिनियमित किया गया था। धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति की पात्रता के लिए व्यक्ति का उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होना अनिवार्य है। वर्तमानतः लोकायुक्त के पद को भरना असम्भव हो गया है, क्योंकि विद्यमान उपबन्धों के अनुसार केवल बहुत कम व्यक्ति ही पात्रता के मानदण्ड को परिपूर्ण करते हैं। इसलिए लोकायुक्त के पद को भरे जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए पात्र व्यक्तियों का क्षेत्र विस्तारित करने के आशय से उच्च न्यायालय के न्यायधीश को लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति हेतु

विचार करने के लिए पात्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित उपबन्धों से उक्त पद को भरे जाने हेतु और अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जय राम ठाकुर)
मुख्य मन्त्री।

धर्मशाला :

तारीख : ....., 2021

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 8 of 2021

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) BILL, 2021

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No. 23 of 2015).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Amendment) Act, 2021.

2. Amendment of section 3.—In the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014, in Section 3, in sub-section (1), after the words "a Chief Justice of a High Court", the words "or a Judge of a High Court" shall be inserted.

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No. 23 of 2015), was enacted to provide for the appointment of Lokayukta for the State of Himachal Pradesh to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for the matters connected therewith or incidental thereto. As per the provision under section 3, for being eligible for appointment, a person must be a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court. Presently, it has become difficult to fill up the post of Lokayukta as per existing provisions as only few persons fulfill the eligibility criteria. In order to expand the zone of the eligible persons, it is proposed to make the Judges of the

High Court eligible for consideration for appointment as Lokayukta. The proposed provision will provide more options to fill up the said post.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR)
Chief Minister.

DHARAMSHALA :

The……....., 2021

_____